<u>भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग- 1 खंड- 1 में प्रकाशनार्थ</u>

फा. सं. 6/19/2024-डीजीटीआर
भारत सरकार, वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक : 29.06.2024

<u>जांच शुरूआत अधिसूचना</u>
मामला संख्या : एडी (ओआई) - 17/2024

विषय : चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "ग्लूफ़ोसिनेट और इसके साल्ट" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

1. **फा. सं.. 6/19/2024-डीजीटीआर-** समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' के रुप में कहा जाएगा) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण और क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे 'नियमावली' के रुप में कहा जाएगा) को ध्यान में रखते हुए, यूपीएल लिमिटेड, एस्ट्रल लाइफ इंडिया लिमिटेड, स्वाल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यूनाइटेड फॉस्फोरस (इंडिया) एलएलपी और यूपीएल सस्टेनेबल एग्री सॉल्यूशन लिमिटेड और इसकी संबंधित संस्थाएं एरिस्टा लाइफसाइंस इंडिया लिमिटेड (जिसे आगे 'आवेदक' या 'घरेलू उद्योग' के रुप में कहा जाएगा) ने चीन जन. गण. (जिसे आगे 'संबद्ध देश' के रुप में कहा जाएगा) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ग्लूफ़ोसिनेट और इसके साल्ट (जिसे आगे 'विचाराधीन उत्पाद' अथवा 'संबद्ध वस्तुएँ' के रुप में कहा जाएगा) के आयातों पर पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे 'प्राधिकारी' के रुप में कहा जाएगा) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

2. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देश से पाटित कीमतों पर आयात किया जा रहा है, जिससे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है। आवेदकों ने यह भी आरोप लगाया है कि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होने की और भी आशंका है और उन्होंने संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. <u>विचाराधीन उत्पाद (पी.यू.सी.)</u>

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद ग्लूफ़ोसिनेट और उसका साल्ट है। विचाराधीन उत्पाद को ग्लूफ़ोसिनेट अमोनियम (डी, एल-फॉस्फ़िनोथ्रिसिन या 2-अमीनो-4-(हाइड्रॉक्सी मिथाइल फ़ॉस्फ़ोनिल) के नाम से भी जाना जाता है।

4. ग्लूफ़ोसिनेट सफ़ेद से हल्के पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, जिसमें हल्की तीखी गंध होती है और यह अत्यधिक घुलनशील और वाष्पशील और दोनों ही उत्पाद के दायरे का हिस्सा हैं । ग्लूफ़ोसिनेट का व्यापार दो रूपों में किया जाता है, अर्थात तकनीकी और निर्माण। ग्लूफ़ोसिनेट तकनीकी की पूरी खपत ग्लूफ़ोसिनेट निर्माण के उत्पादन में होती है। ग्लूफ़ोसिनेट तकनीकी का कोई स्वतंत्र उपयोग नहीं होता और इसका उपयोग करने के लिए इसे अनिवार्य रूप से निर्माण में संसाधित करना होता है। तकनीकी चरण से निर्माण के चरण तक की प्रक्रिया एकल चरण प्रक्रिया होती है। वाणिज्यिक तौर पर निर्माण के लिए ग्लूफ़ोसिनेट का आयात नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें मुख्य सांद्रता (कंसेंट्रेशन) पानी की होती है और खरीदने की लागतें अधिक होती है।

5. विचाराधीन उत्पाद का सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अंतर्गत कोई समर्पित वर्गीकरण नहीं है। तथापि, उत्पाद को 38089190, 38089390 और 38089990 के अंतर्गत आयात किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण कोड केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

6. वर्तमान जांच में शामिल पक्षकार, प्राधिकारी के समक्ष दायर दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ के परिचालन के 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं तथा पी.सी.एन., यदि कोई हो, का प्रस्ताव कर सकते हैं।

ख. <u>समान वस्तु</u>

7. आवेदकों ने यह अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यातित उत्पाद में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है तथा दोनों ही समान वस्तुएँ हैं। आवेदकों द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद, आवश्यक उत्पाद विशिष्टताओं जैसे भौतिक तथा रासायनिक विशिष्टताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं

प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। उपभोक्ता दोनों का परस्पर उपयोग कर सकते हैं तथा करते रहे हैं। दोनों ही तकनीकी तथा व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं, तथा इसलिए, नियमों के अंतर्गत इन्हें 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए। इस प्रकार, वर्तमान जाँच शुरूआत करने के प्रयोजनों के लिए, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद को प्रथम दृष्टया संबद्ध देश से आयातित उत्पाद के समान वस्तु माना गया है।

ग. <u>घरेलू उद्योग और आधार</u>

8. यह आवेदन यूपीएल लिमिटेड तथा इसकी संबंधित इकाइयों अर्थात एरिस्टा लाइफसाइंस इंडिया लिमिटेड, स्वाल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यूनाइटेड फॉस्फोरस (इंडिया) एलएलपी तथा यूपीएल सस्टेनेबल एग्री सोल्यूशन लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों का उत्पादन उत्पाद के भारतीय उत्पादन का 100% है, तथा भारत में समान वस्तु का कोई अन्य उत्पादक नहीं है। ग्लूफोसिनेट के निर्माण के अन्य उत्पादक तथा विक्रेता अर्थात एस्ट्रल लाइफ इंडिया लिमिटेड, स्वाल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यूनाइटेड फॉस्फोरस (इंडिया) एलएलपी तथा यूपीएल सस्टेनेबल एग्री सोल्यूशन लिमिटेड ने अपने प्रासंगिक आंकड़े उपलब्ध कराए हैं।

9. प्राधिकरण ने नोट किया है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित आवेदकों में से एक ने विचाराधीन उत्पाद को चीन जनवादी गणराज्य से आयात किया है। तथापि, उनके द्वारा आयात केवल निर्यात उद्देश्यों के लिए किया गया था तथा घरेलू बाजार में बेचा नहीं गया था। आवेदकों ने कहा है कि वे विषय देश के निर्यातकों से संबंधित नहीं हैं या भारत में आयात।

10. यह भी देखा गया है कि भारत में कुछ उत्पादक ऐसे हैं, जो तकनीकी रूप में ग्लूफ़ोसिनेट का उत्पादन नहीं करते हैं, वे या तो इसे आवेदकों से खरीदते हैं या इसका आयात करते हैं और इसे फॉर्मूलेशन में संसाधित करते हैं। वे कंपनियाँ, जिनके पास तकनीकी **ग्लूफ़ोसिनेट** के उत्पादन के लिए विनिर्माण सुविधाएँ नहीं हैं और वे केवल आयातित तकनीकी को फॉर्मूलेशन में संसाधित कर रही हैं। इसके अलावा, वे विचाराधीन उत्पाद के एक रूप का आयात कर रही हैं और इसे दूसरे रूप में बनाने के लिए संसाधित कर रही हैं। इन उत्पादकों को नियम 2(ख) के अनुसार प्रस्तावित जाँच के उद्देश्य से उत्पाद का "घरेलू उत्पादक" नहीं माना गया है।

11. प्रदान की **गई** जानकारी के आधार पर, यह देखा गया है कि आवेदक नियम 2(ख) के तात्पर्य से 'घरेलू उद्योग' की स्थापना करता है और आवेदन नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंडों को पूरा करता है।

घ. <u>संबद्ध देश</u>

12. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन. गण. है।

ङ. <u>जांच की अवधि (पी.ओ.आई.)</u>

13. जांच के लिए जांच की अवधि (पी.ओ.आई.) 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 (12 माह) है। क्षति जांच **अवधि** 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 और जांच की अवधि (पी.ओ.आई.) है।

च. <u>सामान्य मूल्य</u>

I चीन जन. गण.

14. आवेदकों ने यह अनुरोध किया है कि चीन जन. गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना **चाहिए**, और चीन जन. गण. के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ मौजूद हैं। जब तक चीन जन. गण. के उत्पादक यह नहीं दर्शाते कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ मौजूद हैं, तब तक उनका सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

15. आवेदकों ने यह अनुरोध किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य **निर्धारित** करने के प्रयास किए गए थे। तथापि, आवेदकों को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल सकी थी। इसके अलावा, आवेदकों ने अनुरोध किया है कि चूंकि उत्पाद का कोई समर्पित वर्गीकरण नहीं है, अत: एक देश से दूसरे **देश** में कीमत पर विचार नहीं किया जा सकता है। अत:, आवेदकों ने उत्पादन की लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर सामान्य

मूल्य का दावा किया है, जिसे उचित लाभ मार्जिन के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों के साथ समायोजित किया गया है। आवेदकों द्वारा दावा किए गए सामान्य मूल्य पर जांच शुरू करने के प्रयोजन से विचार किया गया है।

छ. <u>निर्यात कीमत</u>

16. विचाराधीन उत्पाद का निर्यात मूल्य डीजीसीआई एंड एस डेटा में सूचित किए गए विचाराधीन उत्पाद के **सीआईएफ** मूल्य पर विचार करके निर्धारित किया गया है। समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक शुल्क, बंदरगाह व्यय और अंतर्देशीय मालभाड़ा व्यय के लिए समायोजन का दावा किया गया है। संबद्ध देश के लिए शुद्ध निर्यात कीमतों के संबंध में पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।

ज. <u>पाटन मार्जिन</u>

17. सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना कारखाना स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह स्थापित होता है कि संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन **न्यूनतम** स्तर से ऊपर है। इस प्रकार, इस बात के पर्याप्त *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा घरेलू बाजार में पाटित किया जा रहा है।

झ. <u>क्षति और कारणात्मक संबंध का आरोप</u>

18. आवेदकों ने पाटित किए गए आयातों के कारण आवेदकों को हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। जांच अवधि में संबद्ध देश से आयात की मात्रा में तेजी से वृद्धि हुई है। आयात आवेदकों की लागत और कीमत से कम है, जिसके परिणामस्वरूप कीमत में कटौती हुई है। यह भी दावा किया गया है कि संबद्ध देश से पाटित किए गए आयातों के कारण आवेदकों को अपना उत्पादन निलंबित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। घरेलू बिक्री, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादन और क्षमता उपयोग में काफी गिरावट आई है। इसके **अलावा**, जांच अवधि में आवेदकों के नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में भी गिरावट आई है। आवेदकों ने यह भी आरोप लगाया है कि पाटित किए गए आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि, निर्यातकों की क्षमता में पर्याप्त वृद्धि, आयात मूल्य के न्यूनीकरण या दवाबकारी प्रभाव, कीमत और लागत में कटौती, चीन के उत्पादकों के पास वस्तुसूची के कारण, यदि पाटनरोधी शुल्क नहीं

लगाया जाता है तो आगे और क्षति का खतरा है। पाटनरोधी जांच की शुरुआत को उचित ठहराने के लिए संबद्ध देश से पाटित किए गए आयातों के कारण आवेदकों को होने वाली भौतिक क्षति और आगे और क्षति के खतरे के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।

ञ. <u>पाटनरोधी जांच की शुरुआत</u>

19. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर तथा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति तथा ऐसी क्षति और पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के संबंध में आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर संतुष्ट होने के बाद तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की उचित राशि की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी जांच आरंभ करते हैं, जिसे यदि लगाया जाता है तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

ट. <u>प्रक्रिया</u>

20. इस जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्दिष्ट प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ठ. <u>सूचना प्रस्तुत करना</u>

21. निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in जिसकी एक प्रति adv11-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

22. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देशों की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर

समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरूआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

23. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शरुआत अधिसूचना, पाटनरोधी नियमावली, 1995 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संबंधित अनुरोध कर सकता है।

24. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय पाठ प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

25. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना से अवगत होने और आगे की प्रक्रिया के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की अधिकारिक वैबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखते रहें ।

ड. <u>समय सीमा</u>

26. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को एडीडी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग के आवेदन के अगोपनीय अंश को परिचालित किए जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को **भेजे** जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पतों jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in तथा उसकी प्रति adv11-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@gov.in को ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

27. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और इस इस अधिसूसचना में उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें।

28. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है वहां उसे एडीडी नियमावली,1995 के नियम 6(4) के अनुसार समय बढ़ाने का पर्याप्त कारण बताना होगा और वह अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समयावधि के भीतर किया जाना चाहिए ।

ढ. <u>गोपनीय आधार पर सूचना का प्रस्तुतीकरण</u>

29. वर्तमान जांच में प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

30. ऐसे प्रस्तुतीकरणों का प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए। प्राधिकारी के समक्ष बिना ऐसे चिह्नों के प्रस्तुत किए गए किसी भी प्रस्तुतीकरण को प्राधिकारी द्वारा 'अगोपनीय' सूचना माना जाएगा, और प्राधिकारी को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे प्रस्तुतीकरणों का निरीक्षण करने की अनुमति देने की स्वतंत्रता होगी।

31. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/ या ऐसी कोई अन्य सूचना जिसके प्रदाता द्वारा ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है । ऐसी सूचना जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है या वह सूचना जिसके अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, के **मामले** में उस सूचना के प्रदाता के लिए प्रदत्त सूचना के साथ उसके कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना अपोक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

32. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दाखिल की गई सूचना का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः अनुक्रमित किया जाना चाहिए या रिक्त स्थान दिया जाना चाहिए (जहां अनुक्रमण संभव नहीं है) और ऐसी सूचना को उचित रूप से और पर्याप्त रूप से संक्षेपित किया जाना चाहिए, जो उस सूचना पर निर्भर करता है जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है।

33. धिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकारी संतुष्ट है कि

गोपनीयता के लिए अनुरोध उचित नहीं है या यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी सूचना को अनदेखा कर सकते है।

34. गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझने के लिए अगोपनीय सारांश पर्याप्त विवरण में होना चाहिए। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संकेत दे सकता है कि ऐसी सूचना सारांश के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है, और नियमावली 1995 के नियम 7 के अनुसार पर्याप्त और उपयुक्त स्पष्टीकरण वाले कारणों का विवरण, और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचना, कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है, प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रदान किया जाना चाहिए।

35. कोई हितबद्ध पक्षकार, दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ के प्रसारित होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा दावा किए गए गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियाँ दे सकते हैं।

36. गोपनीयता के दावे पर नियमों के नियम 7 के अनुसार सार्थक अगोपनीय संस्करण या पर्याप्त और पर्याप्त कारण के विवरण के बिना किए गए किसी भी प्रस्तुतीकरण और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचना को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

37. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध अपेक्षित नहीं है या यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता या तो सूचना को सार्वजनिक करने के लिए अनिच्छुक है या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत नहीं करता है, तो वह ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।

38. प्राधिकारी संतुष्ट होने और प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता को स्वीकार करने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट अधिकरण के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ण. <u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

39. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, साथ ही उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोध/ उत्तर/ सूचना का गोपनीय पाठ अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें। अनुरोध/ उत्तर/ सूचना का गोपनीय पाठ प्रसारित न किए जाने पर हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है।

त. <u>असहयोग</u>

40. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक जानकारी तक पहुंच से इनकार करता है या अन्यथा प्रदान नहीं करता है, या जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं ।

(अनन्त स्वरूप)
निर्दिष्ट प्राधिकारी